

# NICE PARK

CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Regn. No. TNA/TNA/HSG/(TC)/35395/Dtd. 13.02.2023

Add: Survey No. 183, Hissa No. 3, Village Shil, Mumbai - Pune Road, Shil, Thane - 400 612

## GENERAL RULES & REGULATION OF SOCIETY

1. It is Mandatory for all the members to make an application to take prior permission to obtain NOC from the society before subletting your flat on Rent. Please submit rent agreement and police verification form.
2. It is Mandatory for all the members to make an application to take prior permission to obtain NOC from society before selling / transferring your flat.
3. It is mandatory for all the members to make an application to take prior permission for making any renovation or repair of your flat.
4. Hawkers & Beggars are strictly not allowed in the society premises.
5. Please turn off water taps & Gas Cylinder before leaving the flat.
6. Out Side Vehicle are strictly not allowed in the society premises.
7. Please do not stand idle or sit in the lift area or passage area of the society.
8. Please don't play in the passage / stairs of the society. Please don't spit in the passage, stairs and lift or in the society premises.
9. Please don't shout or make any kind of noise i.e. playing cricket or loudspeaker in the society premises.
10. Please don't shut or close your door hardly or with hard hitting.
11. Please don't play with the electric board.
12. Please give in writing your suggestion / grievances if any regarding society matters.
13. For obtaining any NOC from the society and any suggestions / grievances regarding society matters will be entertained only after payment of our dues / monthly maintenance.
14. Please take care of societies Common property.
15. Please avoid taking personal work / job from watchman's and security servant.
16. Non Occupancy and Nominal fees : 100 Rupees membership and 10% non occupancy charges has been applicable in the monthly maintenance for the flats are on rent. The charges will be applicable from Jan 2023.
17. Tenant Shifting charges: Charges of 2000/- will be applicable as shifting charge to the tenant that he/she need to pay to the society before shifting.
18. No Parking & Illegal Parking penalty: 500 per day the penalty will be imposed for four wheeler and 500 for 2 wheeler.
19. Penalty of spitting the Pan Gutka etc in the society premises: 2000/- to 5000/- Penalty will be imposed per head.
20. The balcony grill should be in Black color & same design as of all the flats are in one uniform and TV dish is not allowed to be deployed in the wall of balcony.
21. misuse / Damage society assets: The Society have right to right to take action and impose fine based on board member decision if found any guilty in respect to damage / misuse of the society assets. The punishment will be decided based on agreement of the board members.
22. Any payment to the society shall be made by cheques only.
23. In the Event of break of any rule & regulations mentioned above, the appropriate penalty will be applicable.
24. If any queries or complaint please inform it though the NoBrokerHood application as well you may submit your complaint in written in the society office in office working hour Morning 10:30 AM to 01 PM and Evening 05 PM to 8 PM.
25. The managing committee meeting will be held in the society office every Sunday at 8 PM, If anyone feel that his/her queries are not addressing then he may join the meeting and raised his/her queries in front of committee persons. For this, you need to be informed prior the meeting to the society staff.

**Legal Advisor Adv. Nayeem Patel**

**Contact : 9869428278 / 9324563659**

Address : Flat No. 102, Bldg No. 04, Darul Falah Colony, Near Darul Falah Masjid, Kausa, Mumbra, Dist. Thane - 400 612.

# नाईस पार्क

को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी

Regn. No. TNA/TNA/HSG/(TC)/35395/Dtd. 13.02.2023

पता: सर्वे नंबर 183, हिस्सा नंबर 3, गांव शिल, मुंबई - पुणे रोड, शिल, ठाणे - 400 612

## सोसायटी के जनरल रूल्स अँड रेग्युलेशन

1. सोसायटी के सभी सभासदों के लिये यह जरूरी है कि अपना प्लॉट किसी भी व्यक्ति को किराये पर देने से पहले सोसायटी को लिखीतरूप में अर्जी देकर इत्तेला दें और सोसायटी से एन.ओ.सी. हासिल करें और किराये का अग्रीमेंट और पोलिस वेरीफिकेशन सोसायटी में जमा करें।
2. सोसायटी के सभी सभासदों के लिए यह जरूरी है कि अपना प्लॉट किसी भी व्यक्ति को बेचने से पहले सोसायटी को लिखीतरूप में अर्जी देकर इत्तेला दें और सोसायटी से एन.ओ.सी. हासिल करें।
3. सोसायटी के सभी सभासदों के लिए यह जरूरी है कि अपने प्लॉट में किसी भी तरह के रिपेयर काम या रिनोवेशन का काम करने से पहले सोसायटी को लिखीत अर्जी देकर सोसायटी से इजाजत लेना जरूरी है।
4. फेरीवालों को और भिखारियों को सोसायटी के अंदर आना सख्त मना है।
5. कृपया प्लॉट बंद कर के बाहर जाने से पहले नल और गैस सिलेंडर लाईट की स्विच बंद कर के जाए।
6. बाहर की गाड़ीयों को सोसायटी के अंदर लाकर पार्क करना सख्त मना है।
7. कृपया सोसायटी के रास्ते में या लिफ्ट के पैसेज वाले एरिया, सीढ़ियों में गैर जरूरी खड़े रहना और बैठना सख्त मना है।
8. कृपया कर के रास्ते में और सीढ़ियों पर बच्चों को न खेतने दें और रास्ते या लिफ्ट में सिढ़ियों पर पान-गुटखा खाकर न थुके और गंदगी न करें।
9. कृपया कर के सोसायटी के अंदर किसी तरह का शोर-शराबा न करें, क्रिकेट ना खेलें, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें।
10. कृपया कर के घर के दरवाजे जोर जोर से बंद ना करें।
11. इलेक्ट्रिक बोर्ड में अपने मर्जी से छेड़छाड़ ना करें।
12. कृपया करके कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो सोसायटी को लिखीतरूप में दें, जबानी शिकायत सुनी नहीं जाएगी।
13. किसी भी प्रकार की एन.ओ.सी. के लिए और कोई भी शिकायत या सुझाव देने से पहले अपने प्लॉट का मेन्टेनन्स बकाया रकम अदा करें फिर शिकायत करें।
14. सोसायटी की कॉमन प्रॉपर्टी और साफ सफाई का ख्याल रखें।
15. सोसायटी के वॉचमैन और सेक्युरिटी वालों से कोई भी सभासद अपने निजी काम न करवाए।
16. नॉन ऑक्युपेंसी और नॉमिनल फीस: 100 रुपये मेंबरशिप और 10% नॉन ऑक्युपेंसी चार्ज मासिक मेंटेनेंस में उन प्लॉटों के लिए लागू किया गया है जो किराए पर हैं। शुल्क जनवरी 2023 से लागू होगा।
17. किरायेदार स्थानान्तरण शुल्क: 2000/- का शुल्क उस किरायेदार पर स्थानान्तरण शुल्क के रूप में लागू होगा जिसे उसे स्थानान्तरित करने से पहले समाज को भुगतान करने की आवश्यकता है।
18. नो पार्किंग और अवैध पार्किंग जुर्माना: चौपटिया वाहन के लिए प्रतिदिन 500 और दुपटिया वाहन के लिए 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
19. सोसायटी परिसर में पान गुटका आदि थूकने पर जुर्माना: 2000/- से 5000/- प्रति व्यक्ति जुर्माना लगाया जायेगा।
20. बालकनी की ग़िल काले रंग की होनी चाहिए और उसी डिजाइन की होनी चाहिए जैसे सभी प्लॉट एक ही यूनिफॉर्म में हैं और बालकनी की दीवार में टीवी डिश लगाने की अनुमति नहीं है।
21. सोसाइटी की संपत्ति का दुरुपयोग / क्षति: सोसाइटी की संपत्ति के नुकसान / दुरुपयोग के संबंध में दोषी पाए जाने पर बोर्ड के सदस्यों के फैसले के आधार पर सोसायटी को कौंसेवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है। सजा बोर्ड के सदस्यों की सहमति के आधार पर तय की जाएगी।
22. मेन्टेनेंस व पार्किंग वार्जेस चेक से करें, कैंश नहीं लिया जायेगा।
23. उपर दिये गये किसी भी कानून के उल्लंघन पर सोसायटी पेनल्टी लगा सकती है।
24. यदि कोई प्रश्न या शिकायत है, तो कृपया नोब्रोकरहूड एप्लिकेशन के माध्यम से इसकी सूचना दें, साथ ही आप अपनी शिकायत लिखित रूप में समाज कार्यालय में कार्यालय के कार्य समय में सुबह 10:30 पूर्वाह्न से 01 अपराह्न और शाम 05 बजे से 8 बजे अपराह्न तक जमा कर सकते हैं।
25. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे सोसायटी कार्यालय में आयोजित की जाएगी, यदि किसी को लगता है कि उसके प्रश्नों का समाधान नहीं हो रहा है तो वह बैठक में शामिल हो सकता है और समिति के व्यक्तियों के सामने अपने प्रश्न उठा सकता है। इसके लिए आपको बैठक से पहले सोसाइटी के कर्मचारियों को सूचित करना होगा।

**लीगल एडवाइजर एडवोकेट नईम पटेल**

**Contact : 9869428278 / 9324563659**

पता: प्लॉट नंबर 102, इमारत नंबर 04, दरुल फलाह कालोनी, दरुल फलाह मस्जिद के पास, कौसा, मुंब्रा, जिला ठाणे - 400 612